

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल  
ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2, गवर्मेन्ट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता – 700001

का.आ. सं. प्रशा.।/।।।-5(2)/39

दिनांक: 14.06.2024

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को दिनांक 18.06.2024 (पूर्वाह्न) अथवा उनके लेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से अगले आदेश तक वेतन मैट्रिक्स तालिका के स्तर 5 (रु. 29200-92300/-) में लेखापरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया है:

क्रम सं.	नाम (सुश्री/श्री)	पदनाम
1	अमित कुजूर	एम.टी.एस.
2	जयंत राँय	एम.टी.एस.
3	मिथिलेश कुमार	डी.ई.ओ. ग्रे. 'ए'
4	सोनू कुमार चौधरी	डी.ई.ओ. ग्रे. 'ए'
5	शिव कुमार	डी.ई.ओ. ग्रे. 'ए'

उन्हें लेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु इस कार्यालय के प्रशासन अनुभाग में रिपोर्ट करना है।

वे एफ.आर. 22-।(ए)(1)/सी.सी.एस. (आर.पी.) नियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदोन्नत की तिथि से एक माह के भीतर विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

यह पदोन्नति ऐसे मामलों, यदि कोई हो, जो न्यायाधिकरण/न्यायालयों में विचाराधीन है तथा अपने वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, माननीय सी.ए.टी./उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है।

डी.ओ.पी.टी. के का.ज्ञा. सं. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 5 के अनुसार, पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आगामी आदेशों के अधीन होगी।

कर्मचारियों की पदोन्नति उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता मामला लंबित नहीं होने के शर्ताधीन है। यदि डी.ओ.पी. व टी. का.ज्ञा. दिनांक 14.09.1992 में संदर्भित किसी प्रकार का कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता मामला उक्त कर्मियों के विरुद्ध लंबित है अथवा वेतन वृद्धि रोकने जैसी कोई सजा चल रही है, तो उन्हें पदोन्नति पर कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए तथा शीघ्र ही मामले का रिपोर्ट इस कार्यालय को किया जाना चाहिए।

इस कार्यालय आदेश द्वारा विस्तारित पदोन्नति की समीक्षा मुख्यालय से प्राप्त स्पष्टीकरण/आदेशों/निर्देशों के बाद की जा सकती है।

//प्राधिकार: फाइल सं. Admn./III-5(2) में

दिनांक 14.06.2024 को वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.) के आदेश//

**प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ई-मेल द्वारा प्रेषित:**

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता - 700001।
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता - 700064।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण)
4. वरि. उ.म.ले. (एएमजी-I एवं प्रशासन)/ उ.म.ले. (एएमजी-II)/ उ.म.ले. (एएमजी-III (नॉन-एल.ए.डी.)/ उ.म.ले. (एएमजी-IV) का सचिवालय।
5. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन); कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, 5वां तल, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700 064।
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा)/विशेष कक्ष, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), प. बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग्स, कोलकाता - 700 001।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-2/ प्रशासन-3/ प्रशासन-4/ प्रशासन-5/ एएमजी-I(मुख्यालय)/ एएमजी-II(मुख्यालय)/ एएमजी-III (नॉन-एल.ए.डी.)/ एएमजी-IV(मुख्यालय)/आई.टी.ए./ एफ.ए.डब्ल्यू./रिपोर्ट/ ई.सी.पी.ए./डी.ए.एस.)।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700 064। आपसे अनुरोध है कि संबंधित व्यक्ति को सूचित करें।
9. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-II/ प्रशासन-III/प्रशिक्षण एवं परीक्षा/प्रशासन सी.सी./ एएमजी-I(मुख्यालय)/ एएमजी-II(मुख्यालय)/ एएमजी-III

(नॉन-एल.ए.डी.)/ एएमजी-IV(मुख्यालय)/ ई.डी.पी./ आई.टी.ए./ /एफ.ए.डब्ल्यू./ रिपोर्ट/ ई.सी.पी.ए./डी.ए.एस./)।

10. आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ईडीपी अनुभाग।
11. सचिव, श्रेणी-III एसोसिएशन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल।
12. संबंधित व्यक्ति।
13. ग्रेडेशन लिस्ट/स्टाफ पोजिशन
14. सूचना पट्ट।

Sd/-

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी  
(प्रशासन-I)